न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी श्री बृजेन्द्र मीना, आर.ए.एस.

मु.न.	तारीख रजु	तारीख निर्णय
74/2020	26/11/2020	22-5-26

प्रभात्या पुत्र सुआ जाति हरिजन निवासी अमरगढ हाल निवासी बामन बडौदा तहसील गंगापुर सिटी (मृतक)

1/1 कालू पुत्र प्रभात्या जाति हरिजन निवासी बामन बडौदा

1/2 स्वरूप पुत्र प्रभात्या जाति हरिजन निवासी बामन बडौदा

1/3 शोभा पत्नी सुरेश पुत्री प्रभात्या जाति हरिजन निवासी गुढा

1/4 गीता पत्नी सीताराम पुत्री प्रभात्या जाति हरिजन निवासी गुढा

1/5 गुड्डी पत्नी सुनील पुत्री प्रभात्या जाति हरिजन निवासी गंगापुर

1/6 काली पत्नी अशोक पुत्री प्रभात्या जाति हरिजन निवासी गंगापुर

--वादीगण--

बनाम

लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी --प्रतिवादी--

दावा बाबत् इन्द्राज दुरूस्ती

उपस्थितिः- श्री दिनेश चन्द शर्मा, श्री मदन मोहन शर्मा, श्री परमानन्द शर्मा, वादीगण की ओर सेः- अधिवक्ता-

नायब तहसीलदार गंगापुर सिटी प्रतिवादी के प्रतिनिधी

निर्णय

वादीगण के पिता प्रभात्या पुत्र सुआ की ओर से एक वादपत्र बाबत इन्द्राज दुरूस्ती इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि वादी प्रभात्या को आराजी खसरा नं. 2/1 रकवा 5 बीघा आवंटन की गई थी। जिसकी गैर खातेदारी का नामान्तरण नम्बर 122 दिनांक 14.01.76 वादी के पक्ष में खुला तभी से वादी उक्त भूमि पर बतौर खातेदार काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। भू प्रबन्ध विभाग के कर्मचारीयों द्वारा वादी की भूमि का इन्द्राज हजव कर वर्तमान खसरा नम्बर 45 सिवायचक बंजड में दर्ज कर दिया जो पूर्णतः अवैधानिक है। वादी को आवंटित साविक खसरा नं. 2/1 के नये खसरा नं. 45 रकवा 16.2200 हैक्टर खसरा नं. 46 रकवा 0.0800 हैक्टर खसरा नं. 47 रकवा 0.0600 हैक्टर बनाये है। वादी की भूमि को खसरा नं. 45 बंजड सिवायचक में दर्ज कर दिया। दिनांक 29.12.2005

सहायक कलेक्टर
एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी (सवाई.)

को प्रतिवादी तहसीलदार महोदय से दुरुस्ती बाबत् मिला उन्होने दुरूस्ती से इन्कार कर दिया। इसलिए यह दावा बाबत् इन्द्राज दुरूस्ती पेश करना आवश्यक हुआ। वादी का दावा डिक्री किया जाकर साविर खसरा नं. 2/1 रकवा बीघा स्थित ग्राम अमरगढ से बने हाल खसरा नं. 45 में दुरूस्त कर रिकॉर्ड में दर्ज करें। उक्त वाद न्यायालय उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के यहाँ दिनांक 07.03.2006 को प्रस्तुत किया गया था। जो प्रकरण संख्या 46/2006 दर्ज रजिस्टर किया गया है।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को नोटिस जारी किया गया दिनांक 31.08.2006 को प्रतिवादी की ओर से जबाव प्रस्तुत कर वादी के वाद पत्र को अस्वीकार कर दावा वादी खारिज करने का अनुतोष चाहा। तथा कथन किया कि दावा दायर करने से पूर्व धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस नही दिया। तथा दावा मियाद बाहर है। तथा सेटलमैन्ट को हुए 20 वर्ष गुजर चुके है। वादी का आराजी पर कोई कब्जा नही है। इसलिए दावा वादी खारिज किया जावे। दावा प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् वादी प्रभात्या का निधन होने के कारण वारिसान को रिकॉर्ड में लिए जाने का आवेदन प्रस्तुत किया। जिसे बाद बहस स्वीकार कर संशोधित उनवान पेश किया जाने का आदेश दिया गया। संशोधित उनवान रिकॉर्ड पर लिया गया। दौराने सुनवाई प्रकरण अदालत हाजा में अन्तरित होकर पेश हुई जो प्रकरण संख्या 74/20 दर्ज की गई।

प्रकरण में वादी की ओर से नामान्तरकरण, मिलान क्षेत्रफल, खेवट खतौनी, नामान्तरण पंजिका, हाल जमाबन्दी, नक्शा ट्रेस की नकल, प्रोसेडींग रजिस्टर की नकल, असल पट्टा, पेश किये है। प्रतिवादी की ओर से मौका रिर्पोट की फोटो प्रति मय आवेदन पेश की है।

प्रकरण में निम्न तनकीयात दिनांक 07.06.2007 को कायम की गई।

1. आया वादी अनुसूचित जाति का सदस्य है। वादी को साविक खसरा नं. 2/1 ग्राम अमरगढ में 5 बीघा भूमि आवंटन हुई जिसका गैर खातेदारी का नामान्तरण वादी के पक्ष में संख्या 122 दिनांक 14.01.76 को खुला है। तभी से वादी का कब्जा काश्त है । --वादी--
2. आया वादी हाल खसरा नं. 45 बंजड सिवायचक में से 5 बीघा भूमि का काबिज खातेदार है।
3. आया वादी की आवंटन शुदा भूमि खसरा नं. 2/1 रकवा 5 बीघा को बिना कानूनी अधिकार सिवायचक बंजड दर्ज कर दिया। जो वर्तमान खसरा नं. 45 में मिला दिया। जिसे वादी दुरूस्त करने का अधिकारी है।

सहायक कलेक्टर
एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी (राज०)

आया वादी का कब्जा काश्त नही है । धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस नही दिया गया है। दावा मियाद बाहर है। सैटलमैन्ट 20 वर्ष से ज्यादा का समय हो गया है। दावे पर क्या असर होगा। प्रकरण में वादी की ओर से वादी काडू पुत्र प्रभात्या व स्वरूप पुत्र प्रभात्या के बयान वादी की ओर से लेखबद्ध किये गये।

प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजात नामान्तरण प्रदर्श 1, मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 2, खेवट खतौनी प्रदर्श 3, नामान्तरण पंजिका प्रदर्श 4, हाल जमाबन्दी प्रदर्श 5, नक्शा ट्रस प्रदर्श 6, आवंटन प्रोसेडिंग रजिस्टर प्रदर्श 7, भू आवंटन पट्टा प्रदर्श 8, भी वादी की ओर से प्रस्तुत किये व साक्ष में जिन पर प्रदर्श डाला गया है। प्रतिवादी की ओर से अपने आवेदन दिनांक 07.01.2020 के साथ मौका रिर्पोट दिनांक 03.01.2020 की फोटो प्रति भी प्रस्तुत की है।

तनकी संख्या 1 को साबित करने भार वादी पर था। नामान्तकरण प्रदर्श 1, प्रोसेडिंग रजिस्टर की नकल, प्रदर्श 7, भू आवंटन पट्टा प्रदर्श 8, के अनुसार वादीगण के पिता प्रभात्या के नाम 5 बीघा भूमि का आवंटन किया जाना प्रकट होता है। लेकिन वादी की ओर से 4/6 कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया। जिससे वादी का कब्जा मौके पर होना प्रकट किया हो । तनकी संख्या 2 के अनुसार वादी को ये साबित करना था कि हाल खसरा नं. 45 बंजड सिवायचक ने 5 बीघा भूमि पर कब्जा हो प्रस्तुत नक्शा, व जमाबन्दी प्रदर्श 5 के अनुसार आराजी हाल खसरा नं. 45 का रकवा 15.2200 हैक्टर होना बताया गया है। लेकिन वादी की ओर से अपने वाद में न तो ऐसा कोई नजरी नक्शा पेश किया। जिससे यह प्रकट हो कि वह खसरा नं. 45 के किस हिस्से पर काबिज है। वादी की ओर से पेश किये गये बयान चॅा काडू ने अपने बयानों में जिरह में यह कथन किया है कि मुझे कौनसा खसरा नं. अलोट हुआ है जानकारी नही है। मेरे पिताजी जूताई बुआई करते थे। वर्तमान में हम दो, ढाई बीघा भूमि काश्त करते है शेष पर ठाकुरो का कब्जा है। इस प्रकार वादी काडू अपने वाद पत्र के अनुसार प्रकरण की ताईद नही की है। वादी को तनकी संख्या 3 को भी साबित करने का भार था । वादी को यह साबित करना था कि उसको आवंटित रकवा 45 में है। लेकिन वह कौनसा भाग है। बिना स्पष्ट किये, बिना उक्त भाग की घोषणा कराये इन्द्राज दुरूस्ती नही की जा सकती है। वादी की ओर से हाल खसरा नम्बर में कब्जे बाबत् ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया। जो वादीगण का उक्त भूमि पर कब्जा साबित करता हो। यह स्पष्ट करना वादी का दायित्व था कि साबिक खसरा नं. 2/1 का 5 बीघा कौनसा

सहायक कलेक्टर
एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट

भाग था। जिसे वादी को कब्जा हस्तान्तरित किया व उक्त साबिक से कौनसा हाल नम्बर का भाग बना है। जब तक यह स्पष्ट नही हो वादी किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का आधिकारी नही है। तनंकी संख्या 2-3 वादी के विरूद्ध तय की जाती है। तनंकी संख्या । में आवंटित होना तो प्रमाणित पाया है लेकिन कब्जा होना वादी के पक्ष में साबित नही होता है। तनंकी संख्या 4 को साबित करने का भार प्रतिवादी का था। प्रतिवादी की ओर से कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नही की गई। केवल मात्र एक मौका रिर्पोट प्रस्तुत की गई है। जिसके अनुसार मौके पर वादी का कब्जा होना प्रकट नही होता है। उक्त विवेचन के आधार पर प्रस्तुत दस्तावेजात व मौखिक साक्ष्य के अनुसार वादी अपना वाद साबित करने में असफल रहे है। इसलिए वादीगण का वाद स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत नही होता है। पाया जाता है। वाद वादीगण अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद बाबत इन्द्राज दुरूस्ती साबित न पाये जाने पर अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।

पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो वाद तकमिल दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22-5-21 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(ब्रजेन्द्र मीना)
सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी